प्रेषक,

एन. पी. पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-30 अप्रैल, 2020

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-07/लेखा/बजट/2020-21, दिनांक-24.04.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक '2403-पशुपालन-800-अन्य व्यय-06-पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-4894.83 लाख (रूपये अड़तालिस करोड़ चौरान्नवे लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	292.41
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	4602.42
योग-	**4894.83**

(रूपये अड़तालिस करोड़ चौरान्नवे लाख तिरासी हजार मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण करने हेतु वित्त अधिकारी एवं कुलपति द्वारा संयुक्त रूप से बिल पर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
3. धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।
4. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आगणन पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण निर्माण कार्यों हेतु किया जायेगा।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, दिनांक-07.04.2020 व दिनांक-11.04.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-800-अन्य व्यय-06-पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा' की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन. पी. पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-36/2020/1031(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, उ.प्र.पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
6. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in